न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 26/2020

1. हीरालाल पुत्र रामलाल आयु 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)
2. हरिराम पुत्र ग्यारसाराम आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर ग्राम रामपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 695 निर्णय दिनांक 01/5/2020 वाके ग्राम रामपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट ।

निर्णय दिनांक 23.7.2020

अपीलान्टस् द्वारा जरिये वकील नामान्तरकरण संख्या 695 निर्णय दिनांक 01/5/2020 वाके ग्राम रामपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर निर्णय द्वारा तहसीलदार पावटा के विरूद्व अपील पेश की गयी है, जिसके वर्णित तथ्य अपील में निम्न भांति पेश किये गये हैं :–

1. यह है कि खाता संख्या 06 खसरा नम्बर 809/0.16 हिस्सा 1/24, खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 215/0.84, 498/0.17, 528/0.22, 874/0.18 हिस्सा 1/4 खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 834/0.25 हिस्सा 1/3, खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 849/0.75 हिस्सा 1/24, खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 395/0.08, 396/0.17, 397/0.28, 398/0.44, 423/0.12, 424/0.16, 426/0.18, 427/0.20, 428/0.19 हिस्सा 1/24, खाता संख्या 250 ख.नं. 853/0.32, 897/0.30 हिस्सा 1/24, खाता संख्या 251, खसरा नम्बर 14/0.28, 276/0.13, 277/0.03, 622/0.51, 623/1034/0.24, 670/0.02, 671/0.11, 710/0.19, 711/0.28, 712/0.32, 722/0.16, 859/0.19, 893/0.08, 898/0.31, 899/0.07/, 931/0.03, 932/0.17, 933/0.16 हिस्सा 1/24 खाता संख्या 256, खसरा नम्बर 624/0.03 हिस्सा 1/46, खाता संख्या 257, खसरा नम्बर 851/0.45, 854/0.16, 855/0.31, 856/0.06, 857/0.04, 858/0.23 हिस्सा 1/24 खाता संख्या 273 खसरा नम्बर 369/0.33 हिस्सा 1/6 खाता संख्या 292 खसरा नम्बर 275/0.15 हिस्सा 1/64 खाता संख्या 301 खसरा नम्बर 357/0.18 हिस्सा 1/4 खाता संख्या 310 खसरा नम्बर 482/0.78 हिस्सा 1/32 खाता संख्या 311 खसरा नम्बर 213/0.15, 262/0.13, 412/0.09, 612/0.19, 796/0.06 हिस्सा 1/3 खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 226/0.34 हिस्सा 1/3 खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 221/0.91 हिस्सा 1/12, खाता संख्या 315, खसरा नम्बर 559/0.32 हिस्सा 1/3, खाता संख्या 316 खसरा नम्बर 708/0.14, 709/0.30 हिस्सा 1/48 वाके मौज रामपुरा तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार कालू पुत्र नाथा जाति गुर्जर थे, जिसका देहान्त दिनांक 14/01/2006 को हो चुका है।
2. यह है कि कालू पुत्र नाथा पत्नी सहित लाऔलाद फौत हो गया, जिसके वसीयती वारिसान् अपीलान्ट है। मृत्क कालू पुत्र नाथा से अपीलान्ट संख्या 02 ने अपने पक्ष में उनके जीवन काल में ही उक वसियत लिखावा ली थी। उक्त वसियत बाबत सक्षम न्यायालय में दोनो अपीलान्टस् के मध्य मुकदमाबाजी हुयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली द्वारा दोनो के पक्ष/अपीलान्ट ने लोक अदालत की भावना से दिनांक 13/7/2019 को समझोता कर लिया ओर समझोता व वसियत के अनुसार अदालत ने दोनो पक्ष/अपीलान्टस् को मृत्क कालू पुत्र नाथा की सम्पत्ति का बराबर–बराबर हिस्सा 1/2 हकदार घोषित किया ।

अति. जिला कलक्टर
(जयपुर)

Scanned with CamScanner

3. यह है कि दोनो पक्षों की सहमति से व तहसीलदार पावटा के आदेश क्रमांक/भू.अ./19/74 दिनांक 27/8/2019 के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 695 दर्ज किया। उक्त नामान्तरकरण पर मनमर्जी टिप्पणी करते हुए उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 01/5/2020 को खारिज कर दिया, खारिज करते समय यह उल्लेख किया गया कि ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बरों का वाद पत्र में उल्लेख नहीं है।

4. यह है कि मृत्क नाऔलाद फौत होने की वजह से अपीलान्ट ही उनके वसियत वारिसान् है। विवादित वसियत में स्थित ग्राम रामपुरा तहसील पावटा खसरा नम्बर का भी उल्लेख है और अदालत के समक्ष समझौता के आधार पर अपने निर्णय में वाद–पत्र ने दोनो पक्षों को वसीयत के अनुसार दोनो को बराबर–बराबर हकदार घोषित किया है ओर उसी के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई ध्यान नहीं दिया गया।

5. यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय मात्र वाद–पत्र की ओर ध्यान देकर वसीयत की और कोई ध्यान नहीं दिया । इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01/5/2020 विधि विरूद्व है, जबकि दोनो पक्षकार हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज कराने के लिए सहमत है।

6. यह है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पटवारी हल्का से नकल लेने पर दिनांक 09/7/2020 को हुयी इससे पूर्व अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त देरी को कन्डोन किये जाने हेतु अलग से मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 अपील के संलग्न है। उक्त अपील श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है तथा सुनवायी करने का क्षेत्राधिकार है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम रामपुरा तहसील पावटा का नामान्तरकरण संख्या 695 निर्णय दिनांक 01/5/2020 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार फरमाया जावें।

7. अपीलान्टस द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी नियमानुसार विधि अनुरूप करायी जाने बाबत रेस्पोडेन्ट को सम्मन नोटिस जारी किये जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है।

8. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपील मीमो में वर्णित खसरा नम्बरान् वाके ग्राम रामपुरा तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार कालू पुत्र नाथा जाति गुर्जर थे जिनका देहान्त 14/01/2006 को हो चुका है। कालू पुत्र नाथा पत्नि सहित लाऔलाद फौत हो गया, जिसके वसीयत वारिसान् अपीलान्ट है। मृत्क कालू पुत्र नाथा ने अपीलान्ट संख्या 2 हरिराम के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वसियत लीख दी गयी थी। उक्त वसीयत बाबत अपीलान्ट्स के मध्य सक्षम न्यायालय में मुकदमा बाजी हुयी है। उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए दिनांक 13/7/2019 को दोनो पक्ष/अपीलान्टस् ने लोक अदालत की भावना से समझौता कर लिया, उक्त समझौता के आधार पर सक्षम न्यायालय सिविल जज (क.ख) प्रथम वर्ग कोटपूतली द्वारा दोनों पक्ष/अपीलान्टस् को मृत्क कालू पुत्र नाथा की सम्पत्ति को बराबर–बराबर हिस्सा 1/2 घोषित किया है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 01/5/2000 वाके ग्राम रामपुरा तहसील पावटा को खारिज किया है, जो न्यायोचित नहीं है, जबकि अपीलान्ट्स द्वारा बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज कराने के लिए सहमत है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमायी जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा पारित किया गया निर्णय बाबत नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 01/5/2020 वाके ग्राम रामपुरा खारिजी आदेश को अपास्त किया जाकर स्वीकर किया जावें।

9. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस में कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 23/3/2020 को भरा गया है, जिस पर भू.अ. निरीक्षक पावटा की रिपोर्ट होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटज्ञ द्वारा अपने आदेश दिनांक 01/5/2020 को उक्त नामान्तरकरण को खारिज करते समय यह अंकन किया है कि माननीय न्यायालय में ग्राम भूरी–भडाज की भूमि बाबत अनुतोष चाहा गया है, जबकि उक्त नामान्तरकरण के ग्राम रामपुरा की भूमि दर्ज की गयी है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है। उसे खारिज के आदेश दिनांक 01/5/2020 दिये है वह सही एवं विधि अनुसार है। अतः अपीलान्टस् की अपील को खारिज फरमावें ।

10. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतो का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया जाकर पाया कि उक्त नामान्तरकरण 695 पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार पावटज्ञ के आदेश क्रमांक/भू.अ./19/74

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

दिनांक 27/8/2019 की पालना में भरा गया है, जिस पर भू.अ.निरीक्षक पावटा की रिपोर्ट होकर तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 01/5/2020 को खारीज किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि सक्षम न्यायालय सिविल जज (क.ख) के यहाँ एक वाद वसीयत बाबत चला था जिसमे उभय पक्षो (अपीलान्ट्स) के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से हुआ था, जिसमें उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मे कहा गया कि कालूराम की वसीयत सम्पूर्ण रूप से हरिराम के पक्ष में है। अब उक्त वर्णित सम्पति में हरिराम का सम्पूर्ण हिस्सा ना होकर 1/2 हिस्सा होगा ओर 1/2 हिस्सा हीरालाल का होगा । इस बाबत दोनो पक्षों ने राजीनामा पेश किया था 1/2–1/2 पर हिस्से पर काबिज है। इसी अनुसार हिस्सा मिलेगा जिसको सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 04/7/2019 को तस्दीक किया है। उक्त वसीयत कालूराम द्वारा हरिराम के पक्ष में करायी गयी है तथा लोक अदालत की भावना से राजीनामा दोनों पक्षो (अपीलान्ट्स) के मध्य में हुआ है। उसकी अनदेखी करते हुए उक्त नामान्तरकरण को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा ने दिनांक 01/5/2020 को खारिज किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं कानून का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जबकि अपीलान्ट्स कालू पुत्र नाथा द्वारा लिखायी गयी वसीयत में वर्णित भूमि का बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु सहमत है, अपीलान्टस आपस में सहमत होते हुए भी तथा सिविल न्यायालय में उनके द्वारा राजीनामा लोक अदालत की भावना से पेश होने पर बाद का निस्तारण होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण 695 दिनांक 01/05/2020 वाके ग्राम रामपुरा तहसील पावटा को खारिज किया है जो अवैधानिक एवं न्याय का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा. पर पारित आदेश दिनांक 01/5/2020 को खारिज फरमावें तथा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार करने के आदेश फरमावें।

चूँकि पटवारी हल्का पंडितपुरा तहसील पावटा द्वारा तहसीलदार पावटा के आदेश क्रमांक/भू.अ/19/741 दिनांक 27/8/2019 की पालना में नामा.सं. 695 वाके ग्राम रामपुरा का भरा गया है। उक्त नामा. को तहसीलदार द्वारा यह कहते हुए दिनांक 01/5/2000 खारिज किया है कि माननीय सिविल न्यायालय में ग्राम भूरी भडाज की भूमि बाबत अनुतोष चाहा गया है, जबकि उक्त नामा. ने ग्राम रामपुरा तहसील पावटा की भूमि दर्ज की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से मृत्क कालू पुत्र नाथा द्वारा हरिराम के पक्ष में वसियत करायी गयी थी। उक्त वसीयत को लेकर सिविल न्यायालय में मु.नं. 15/2017 दोनो पक्षों (अपीलान्ट्स) के मध्य एक वाद विचाराधीन था, जिसमें दोनों पक्षों (अपीलान्ट्स) द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा से समझौता कर लिया गया था। प्रस्तुत राजीनामा में अंकन है कि कालूराम की वसीयत जो सम्पूर्ण रूप से हरिराम के पक्ष में है। उक्त वसीयत में वर्णित सम्पति में हरिराम का सम्पूर्ण हिस्सा ना होकर 1/2 हिस्सा होगा ओर 1/2 हिस्सा हीरालाल का होगा । इस प्रकार बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा रहेगा जिसको उभय पक्षों द्वारा उक्त राजीनामा को स्वीकार करने पर सिविल न्यायालय द्वारा दिनाक 04/7/2019 को तस्दीक किया होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में भी कथन किया है कि अपीलान्ट्स हीरालाल व हरिराम मृत्क कालू पुत्र नापा द्वारा लिखयी गयी वसीत में सम्पूर्ण सम्पति में बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए सहमत है। यानि अपीलान्ट्स हीरालाल व हरिराम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी सूरत में कालू पुत्र नाथा की वसीयत में वर्णित खसरा नम्बरान् में 1/2 हिस्सा भूमि हिरालाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा नामा. संख्या 695 दिनांक 01/5/2019 वाके ग्राम रामपुरा को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 695 ग्राम रामपुरा में पारित खारिजी निर्णय दिनांक 01/5/2020 को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 695 स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है तथा इसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

12. निर्णय आज दिनांक 23.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner